न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 234/2011

वादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र सुवाराम
2. सीताराम पुत्र सुवाराम

जाति-बावरी निवासीगण-डिगरना
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुवाराम पुत्र देवाराम
   जाति-बावरी, निवासी-डिगरना
2. कमला पुत्री सुवाराम पत्नी
   कल्याणराम जाति-बावरी
   निवासी-मादलिया, तह.-बिलाडा
   जिला-जोधपुर राज.
3. प्रेम पुत्री सुवाराम पत्नी
   गौतमराम जाति-बावरी निवासी
   मादलिया, तहसील-बिलाडा
   जिला-जोधपुर
4. नौरती पुत्री सुवाराम
   जाति-बावरी, निवासी-डिगरना
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
5. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53'ए' 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/09/2011

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 11/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53'ए', 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं सरहद मौजा-डिगरना, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नं. 1217/800 कुल रकबा 14 बीघा 10 बीस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 1.99 पैसे की कृषि भूमि आराजी आई हुई हैं। जिसमें वादीगण के पिता रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि आराजी को प्रार्थना पत्र में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया गया हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजी संयुक्त एवं अविभाजित पुश्तैनी हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त हिस्सा शामिल हैं। वादीगण का सजरा खानदान एवं हिस्सा मूल पुरूष सुवाराम पुत्र देवाराम का 1/6 हिस्सा के वारिसान बगदाराम, सीताराम, कमलादेवी, प्रेमदेवी एवं नौरतीदेवी हैं। उक्त कृषि आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा व 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1 से 4 तक का कमशः 1/6,1/6,1/6,/16 हिस्सा आता है। राजस्व अवशा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कोई तरमीम की हुई नहीं है और न ही मौके पर बेखमबंदी की हुई हैं। वादीगण आधुनिक तरीके से स्वयं की खातेदारी कृषि आराजी में अच्छी मिट्टी एवं उवरज डाल कर उन्नत फसल उत्पन्न करना चाहता हैं। अतः वादीगण ने अपने पिता से बाई

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने की कहा तो प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 18/09/2011 को विभाजन से मना कर दिया और वादीगण को प्रतिवादी संख्या एक ने ऐलानिया धमकी दी कि यह बेशकीमती जगीन मेरे नाम की है। इसको मैं बेचान कर रहूंगा और यह जगीन खनन क्षेत्र के नजदीक आई हुई हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 इसको बैचान करने पर आमादा हैं और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जगीन बाले-बाले बैचने का पूर्ण अन्देशा है। इसलिये घोषणा तकासमा व हुक्म इम्ताई का वाद-पत्र वादीगण ने श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी संख्या दो तीन चार को औपचारिक पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 स्वयं का हिस्सा लेने के लिये स्वतंत्र हैं। दिनांक 18/09/2011 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त मुतदाविया की कृषि भूमि शामलाती हैं। उसे बैचने की व अन्य हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर मुकाम ग्राम-डिगरना में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में हैं, जो अन्दर म्याद के पेश किया हैं।

इस प्रकार वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 11/11/2014 को की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 व खसरा गिरदावरी अनुसार वादीगण बतौर गैरखातेदार उक्त विवादित भूमि में दर्ज होना बखूबी प्रमाणित हैं। वादीगण को बिना किसी ठोस साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजात के अभाव में उक्त वाद में वांछित अनुतोष के तहत् खातेदारी दिया जाना सम्भव एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होती हैं। लिहाजा वादीगण का वाद निराधार तथा ठोस सबूतों के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते हैं। वादीगण पृथक से गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदत्त किये जाने की चाराजोही / कार्यवाही करें।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। वादीगण गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदत्त किये जाने हेतु पृथक से चाराजोही / कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. बगदाराम पुत्र सुवाराम
2. सीताराम पुत्र सुवाराम

जाति-बावरी निवासीगण-डिगरना
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुवाराम पुत्र देवाराम
   जाति-बावरी, निवासी-डिगरना
2. कमला पुत्री सुवाराम पत्नी
   कल्याणराम जाति-बावरी
   निवासी-मादलिया, तह.-बिलाडा
   जिला-जोधपुर राज.
3. प्रेम पुत्री सुवाराम पत्नी
   गौतमराम जाति-बावरी निवासी
   मादलिया, तहसील-बिलाडा
   जिला-जोधपुर
4. नौरती पुत्री सुवाराम
   जाति-बावरी, निवासी-डिगरना
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
5. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:234/2011

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53'ए' 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। वादीगण गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदत्त किये जाने हेतु पृथक से चाराजोही / कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	03	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	11	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner